



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102025-266672
CG-DL-E-04102025-266672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4375]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947

No. 4375]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ ASVINA 9, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4500(अ)—केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित दिनांक 15 मई, 2023 की अधिसूचना का.आ. 2222 (अ) को प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्: -

- (1) केंद्रीय सरकार, डॉ. अभिजीत मित्र, पशुपालन आयुक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के त्यागपत्र को पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 5 (2) और (3) के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के परिणामस्वरूप, डॉ. मुथुकुमारसामी बी., संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अंतर्गत, अधिसूचना की तिथि से शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. वी-11/18/2019-प्रशा._6]

श्री के. गुरुमूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट : भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित पूर्व अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 2222 (अ) दिनांक 15 मई, 2023 के जरिए प्रकाशित हुई थी और जिसे का.आ. 2353(अ) दिनांक 22 मई, 2023, का.आ. 3911(अ) दिनांक 01 सितंबर, 2023, का.आ. 1817 दिनांक 19 सितंबर, 2024, का.आ. 4376(अ) दिनांक 22 सितंबर, 2025 तथा का.आ. 4377(अ) दिनांक 22 सितंबर, 2025 के जरिए संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 4500(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby amends the notification S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying with immediate effect from the date of publication, namely:-

- (1) The Central Government hereby nominates Dr. Muthukumarasamy B., Joint Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying as Chairman of the Board from the date of the notification for the remaining period or till further orders, whichever is earlier, under Sub-Section 3 of Section 5 of the said Act, consequent upon the acceptance of the resignation, rendered by Dr. Abhijit Mitra, Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, by the competent authority under the provisions of Rule 5 (2) and (3) of the Animal Welfare Board (Administration) Rules, 1962.

[F. No. V-11/18/2019-Admin-6]

K. GURUMURTHY, Jt. Secy.

Note : The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 and subsequently amended vide No. S.O. 2353(E) dated 22nd May, 2023, No. S.O. 3911(E) dated 01st September, 2023, No. S.O. 1817 dated 19th September, 2024, No. S.O. 4376(E) dated 22nd September, 2025 and No. S.O. 4377(E) dated 22nd September, 2025.